P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-IV* December-2015

लैंगिक बिखराव : सामाजिक असमानता

शैफाली सुमन
कार्यवाहक प्राचार्या/एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, सिंकदराराऊ,
हाथरस

सारांश

स्त्री जगत जननी है, पालनहार व शक्तिदायनी है, वह शक्ति स्वरूपा देवी है, वह दुष्टों का संहार करने के लिए विराट रूप धारण करती है, मानव उसको दिव्य मान उसकी आराधना करने लगता है, आज भी देवी माँ के नौ रूपों की पूजा सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रचलित है। यह सभी तथ्य सामाजिक दर्पण का उज्जवल पहलू दर्शाते है किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है सदियाँ बदल गयी पर ना बदली है स्त्री के प्रति पुरूष सत्तावादी समाज की सोच।

लैंगिक बिखराव अथवा लैंगिक असमानता एक सामाजिक तथ्य है। सदियों स इसके अक्षुष्ण रहने के अनेक कारण विद्यमान रहे है। इसमें समाज का पुरूष सतात्मक रूप मुख्य रहा है। समाज में स्त्री व पुरूष की शरीर रचना के आधार पर दोहरे मानदण्ड अपना रखे है। जिसमें दोनों की भूमिका अलग–अलग प्रकार की थी। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जेण्डर अथवा लगिक का अर्थ दो भिन्न शरीराकृति वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित भूमिका से अभिप्राय विभिन्न संस्कृतियों में लिंग के अनुरूप किए जाने वाले व्यवहार प्रतिमान से है। लैंगिक असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक सत्य बन गया है। प्रत्येक संस्कृति में ऐसे अनेक तथ्य हाते है जो स्त्री को निम्न मूल्य व स्थिति से रूबरू करते है। पितृसतात्मक व्यवस्था स्त्रियों को कई प्रकार से शक्तिहीन बना देती है। हमारा समाज इन स्त्री व पुरूष समाजीकरण के अलग–2 मानक बनाता है। अधिकाशतः इन दोनों के प्रति मनोवृतियाँ व दृष्टिकोण अलग–अलग प्रकार का होता है। यह लैंगिक असमानता समाज के सामाजिक व सांस्कृतिक ताने–बाने में मौजूद है।

मुख्य शब्द : लैंगिक बिखराव, सत्ता, मानदण्ड, मूल्य, समाजीकरण।

प्रस्तावना

हमारे समाज में लैंगिक असमानता की जड़े हिन्दू व्यवस्था की परम्पराओं के निर्वहन का भी परिणाम है। के0एम0 पाणिक्कर ने लिखा है कि– हिन्दू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है, वह तो ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी माँग करेगा, तो उसे दे दिया जाएगा। 'यास्कनिरूक्त' में यह स्पष्ट घोषणा है कि लड़की तो अन्य को दी जाती है। देने के तीन तरीके है– दान, विक्रय तथा उत्सर्ग। दान विवाह के समय कन्यादान के रूप म होता है। विक्रय से आ"ाय वधू मूल्य लेकर कन्या बेचना है जबकि उत्सर्ग का आ"ाय उसे त्याग देना है जैसे– मन्दिर में देवदासी के रूप में देवी या देवता के चरणों में समर्पित कर देना। ईसाइयों में वे मठ में एक नन के रूप में रहती है। ऐसी स्थिति में नारी का लालन पालन भेदभाव युक्त स्वतः ही हो जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में लैंगिक अनुपात को ज्ञात करना।
2. लैंगिक अनुपात के सामाजिक कारणों को जानना।
3. लैंगिक अनुपात को नियंत्रित करने हेतु कानून।
4. लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अन्य समाधान।

परिकल्पना

लैंगिक असमानता तथा पितृ सतात्मक व्यवस्था में सकारात्मक सम्बन्ध है।

लैंगिक असमानता सामाजिक तथ्य है तथा समाज द्वारा जनित है।

लैंगिक असमानता का धार्मिक व्यवस्था तथा परम्पराओं से सकारात्मक सम्बन्ध है।

अध्ययन के स्रोत

अध्ययन हेतु प्रस्तुत पेपर के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोतों जैस अवलोकन, निरोक्षण, साक्षात्कार तथा द्वितीयक स्रोतों में पत्र पत्रिकाओं संदर्भ ग्रंथो आलेखों आदि का उपयोग किया गया है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र हेतु सुविचार निर्द"ान प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली अपनाई गई है।

अनुसंधान से प्राप्त परिणाम

सर्वप्रथम पिछले सौ साल में तकनीक के विकास ने स्त्री के दमन, शोषण तथा उसके विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया। मसलन, भ्रूण का लिंग जानने के लिए विकसित भिन्न–भिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी आज घर–घर पहुँच गई है। विदे"ाों में इस प्रकार के भ्रूण परीक्षण विकलांगता जानने के लिए किए जाते है। वहाँ ये काफी महँगे तथा कठोर सरकारी नियन्त्रण में किए जाते है। इसके विपरीत भारत में एमनिओसेन्तासिस 200 से 500 रूपये तक में किया जा सकता है। सस्ते होने की वजह से गरीब परिवार भी इस परीक्षण को बढ़ती संख्या में अपना रहे है। एक अनुमान के अनुसार 1978 से 1983 के बीच लगभग 78,000 स्त्री भ्रूणों का गर्भपात किया गया। आजकल अल्ट्रासाउन्ड की तकनीक आ गई है जिससे बच्ची भ्रूण गिराना और सहज हो गया है।

भ्रूण हत्या के अलावा अनचाही पुत्रियों को पैदा होते ही मारा भी जाता है। ऐसा अफीम या जहरीले वृक्षों का दूध चटाकर किया जाता रहा है। दिनांक 15/06/1986 के इंडिया टूडे ने तमिलनाडु में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रका"ा डाला था। दे"ा के विभिन्न भागों में अनचाही पुत्री से पल्ला छुडाने के लिए अलग–अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। वारवरा डी मिलर के अनुसार– राष्ट्रीय स्तर पर जविनाइल सेक्स रेसियो देखने से साफ पता चलता है कि दो या तीन राज्यों में यह समस्या अत्यधिक है। पूरे उत्तर पि"चम भारत में लिंग अनुपात में गंभीर असंतुलन है।

तालिका–1

वर्ष	प्रति हजार लड़कों के अनुपात में
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में बेटियों के प्रति समाज संकुचित दृष्टिकोण रखता है।

तालिका–2

वर्ष 2004 से 2014 क बीच लैंगिक आधार पर गर्भपात

देश	वार्षिक औसत	लिंगानुपात
भारत	8,51,403	112
चीन	6,41,058	115
पाकिस्तान	1,16,384	109
वियतनाम	37,000	111
अजरबैजान	7,028	116

आज भी स्त्री समाज के दोहरे मानदण्डों का ि"ाकार है। महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध के ग्राफ में कोई कमी नहीं आ रही है, हाँ भारतीय स्त्री जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झण्डे गाड़ रही है। लेकिन इससे समाज की जड़ों में बैठी प्राचीन मान्यताओं में बदलाव नाममात्र का है। आजकल ''सेल्फी विद डॉटर'' का अभियान जोर–"ाोर से चल रहा है लेकिन तथ्य यह है कि लैंगिक आधार पर सबसे ज्यादा गर्भपात हमारे दे"ा में होते है।

इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों, सामाजिक समूहों और विभिन्न धर्मों के सन्दर्भ में भी देखा जाए तो दे"ा भर में महिला पुरूष अनुपात में अत्यधिक विषमता है। तालिका–3 से स्पष्ट है कि जहाँ दे"ा के दक्षिणी राज्यों यथा तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदे"ा, कर्नाटक में और पूर्वी राज्य उडोसा म सबसे बेहतर पुरूष अनुपात यानि 950 अधिक है, वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदे"ा जैसे राज्यों में सबसे कम यानि 900 से भी कम महिला–पुरूष अनुपात है। बिहार में महिला–पुरूष अनुपात 919 है जो कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है।

धर्मानुसार स्त्री–पुरूष अनुपात

धर्म	स्त्री–पुरूष अनुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएँ)
ईसाई	1009
मुस्लिम	936
हिन्दू	931
सिक्ख	893

विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली महिला–पुरूष अनुपात को द"ार्ाता है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला–पुरूष अनुपात की सबसे सुखद स्थिति ईसाइयों में जहाँ प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1009 है जबकि सबसे दुःखद स्थिति सिखों की है जहाँ की है जहाँ प्रति हजार पुरूषों पर मात्र 893 महिलाएँ है। इसी तरह मुस्लिम और हिन्दू सम्प्रदाओं में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या क्रम"ाः 936 और 931 है जो नि"चय ही चिंताजनक है।

इस वि"लेषण से पता चलता है कि भ्रूण हत्या जैसी कुकृत्य ही समाज में स्त्री–पुरूष अनुपात के संतुलन को भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके कारण ही महिलाओं के साथ आये दिन बलात्कार, यौन शोषण, छेड़छाड़ जैसे दुव्यवहारों में बेहता"ाा वद्धि हुई है और समस्या चिंताजनक हो गई है। इन घटनाओं से निःसंदेह जहाँ महिलाओं की आभा, उनकी सहन"ाीलता और स्वतन्त्रता प्रभावित हुई है, वहीं इसके प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने लोगों को भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित किया हैं।

सन् 2001 की जनगणना के मुताविक भारत में प्रति हजार लड़को पर लड़कियों की संख्या 927 थी, जो 2011 में गिरकर 918 रह गई। गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी मातृत्व एवं ि"ा"ाु मृत्युदर का एक बड़ा कारण बना हुआ है। हरियाणा में सबसे कम यानि 877 महिलाएँ है, जबकि केरल में सर्वाधिक यानि 1000 के पीछे 1084 महिलाएँ है। महिला लिंगानुपात का यह भेदभाव खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान की

शुरूआत की है और इस योजना का आरम्भ हरियाणा में किया गया है क्योंकि इसी राज्य में सर्वाधिक बालक–बालिका अनुपात सबसे कम है। हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में छह गाँव ऐसे है जहाँ पिछले एक में एक भी बेटी पैदा नही हुई है और आधा दर्जन गाँवों में बेटियों की अपेक्षा कई गुने लड़के पैदा हुए है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2014 के आँकड़ो के अनुसार बीते वर्ष यहाँ लड़कों पर मात्र 738 लड़कियों ने जन्म लिया है। सन् 2014 में गाँव नौलायजा, सैदअलीपुर, निवाज नगर गणियार, भांडोर, ऊँची व चामधेड़ा में एक भी बेटी ने जन्म नहीं लिया है।

भारत में तेजी से गिरते हुए लिंग अनुपात के पीछे कई धारणाएँ जैसे कि यदि लड़की पैदा होती है तो वह घर के छप्पर को भी ले जाती है। विवाह में होने वाले खर्च, दहेज देना, शादी के बाद समय–समय पर ससुराल वालों द्वारा पैसे की माँग आदि समाज में फैली ये प्रथायें लोगों को बेटी के बजाए बेटा पैदा करने के लिए प्रेरित करती है।

अपने दे"ा में पुत्र कामना व पुत्र द्वारा अंत्येष्टी संस्कार, मोक्ष प्राप्ति का साधन आदि प्राचीन मान्यताओं के चलते कन्या भ्ण हत्या ने एक महामारी का रूप ले लिया है। राजस्थान भी उन राज्यों में से है जहाँ सन् 2011 की जनगणना में बालिकाओं का घटता अनुपात चाकाने वाला रहा है। सन् 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में प्रति 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या महज 888 है, जबकि 2001 में उनकी संख्या 909 थी।

आज भी हमारे दे"ा की जनसंख्या का दो–तिहाई भाग गाँवों में निवास कर रही है जहाँ f"ाक्षा की समुचित व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है और साक्षरता का प्रति"ात वि"ोषकर महिलाओं में काफी कम है। ऐसे ग्रामीण पिछड़ें समाज में प्रायः यह देखा गया है कि पुत्र प्राप्ति की लालसा में अधिका"ा महिलाएँ ही पुरूषों को प्रोत्साहित करती है अर्थात् महिलाएँ भी पुत्र प्राप्ति की लालसा से मुक्त नहीं है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते है कि एक नारी में भी पुत्री के प्रति सकारात्मक सोच का सर्वथा अभाव है जो बेहिचक भ्रूण हत्या में सहायक सिद्ध हो रही है।

लेकिन शहरों में भी स्थिति कुछ सुखद नहीं है। शहरों के f"ाक्षित दम्पत्ति भी लड़का–लड़की में व्याप्त भेदभाव से अपने को अलग नहीं कर पाये है और फिर शहरों में चिकित्सा सुविधाएँ और साधन सर्वत्र सुलभ है, फलतः ऐसे दम्पत्ति के लिए आज गर्भपात (भ्रूण हत्या) कराना एक साधारण सी बात हो गई है। इसके अतिरिक्त शहरों में भी ऐसे दम्पत्तियों की संख्या न्यून है जो गर्भ में मौजूद f"ा"ाु कन्या है का पता चलने पर सामान्य रहते हुए f"ा"ाु आगमन पर खु"ायाँ मनाते हैं।

सर्वप्रथम 1848 में अमेरिका में सेनेका फाल्स में एक मीटिंग में लगभग तीन सौ स्त्रियों ने माँग की थी कि लिंग आधारित भेदभाव समाप्त होना चाहिए।

इस चिन्ताजनक लिंगानुपात की तस्वीर को बदलने का जिम्मा कई सारे स्वयंसेवी संगठन ले रहे है जिसमें बेटी का जन्म होने पर माता–पिता को बधाई पत्र भेजा जाता है। जिला प्र"ाासन ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए बधाई पत्र वितरित किए, धीरे–धीरे समाज भी बदलेगा। इसी क्रम में हरियाणा के जिंद की एक ग्राम पंचायत ने ''सेल्फी विद डॉटर'' प्रतियोगिता आरम्भ की है जो पूरे दे"ा में लोकप्रिय हो रही है।

समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव व दस्तूर खान–पान में जारी है। जैसे भारत मे 37 प्रति"ात लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते है और इसके अतिरिक्त निम्न मध्यवर्ग व मध्यवर्ग में बेटियों के पोषण की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे कम वजन की बच्चों में लड़के 42.5 प्रति"ात व लड़कियों 29.4 प्रति"ात, नाटे कद के बच्चों में लड़के 48 प्रति"ात व लड़कियाँ 38. 8 प्रति"ात। इसी प्रकार कम वजन की कि"ोरियाँ 46.8 प्रति"ात व कि"ोर 53 प्रति"ात पायी गयी है परन्तु इस प्रकार के आँकड़ों के लिए माता–पिता की लापरवाही जिम्मेदार है।

भारत में लैंगिक असमानता अनेक स्वरूपों में विद्यमान है जैसे f"ाक्षा में असमानता– एक सर्वे के अनुसार 1971 में साक्षर स्त्रियाँ 18.4 प्रति"ात, 1981 में यह प्रति"ात 25 था जबकि 1991 में तथा 2001 की जनगणना के अनुसार यह 39.42 तथा 54.16 प्रति"ात हो गया है। इसी प्रकार रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.5 प्रति"ात है, मातृत्व मृत्यु दर 190 व मौत एक लाख बच्चें के जन्म पर, इसी प्रकार महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी भी कम दिखायी देती है जैसे 16वीं लोकसभा में 11.23 प्रति"ात महिला सांसद थी।

लैंगिक बिखराव अथवा लैंगिक असमानता के इन आँकड़ो को हम सिर्फ सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही बदल सकते है। हमें समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे व नजरिए को बदलना होगा, हमें समाज का पुर्ननिर्माण करना होगा और बेटी–बेटा की परवरि"ा करते समय दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना होगा तभी यह कार्य सम्भव हो पायेगा।

लिंग जाँच पर रोक लगाने वाले कानून पी सी पी एल एन डी टी 2002

लिंग निर्धारण परीक्षण में भ्रूण के बालिका या बालक f"ा"ाु में तब्दील होने से पहले और बाद में दोनों को शामिल किया गया है।

अल्ट्रासाउंड म"ाीन का पंजीकरण और जाँच का प्रमाण रखा जाए।

सचल अल्ट्रासाउंड म"ाीनों पर नियन्त्रण।

अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को पाँच साल की जेल और एक लाख रूपया का जुर्माने के साथ म"ाीन जब्त।

लिंग निर्धारण के लिए गई माँ निर्दोष।

गर्भधारण की उन दवाओं का उल्लेख, जिसमें अल्ट्रासाउंड किया जाना जरूरी है।

कानून के उल्लंघन की स्थिति मे f"ाकायत कहाँ और कैसे की जाए– जानकारी।

राज्य स्तर पर बहुसदस्यीय अधिकारियों की टीम जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधि के साथ–साथ कानून।

सिविल कोर्ट के अधिकारों वाले अधिकारी की नियुक्ति।

पुलिस से युक्त कानून।

निष्कर्ष

वैधानिक प्रयास, स्त्री ि"ाक्षा का प्रसार, स्वयंसेवी संगठनों की आन्दोलनों द्वारा व जनता की सकारात्मक जागरूकता के फलस्वरूप ही नवीन सामाजिक स्वस्थ पर्यावरण निर्मित हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

दैनिकपत्र

1. संवेदनाओं का सिकुडता फलक तवलीन सिंहः अमर उजाला 05 फरवरी 2012।
2. कम होती बच्चियाँ मधु पूर्णिमा कि"वरः अमर उजालाः 10 अप्रैल 2011।
3. लैंगिक असमानता 30 अक्टूबर 2014 अमर उजाला।
4. महिलाओं की बेहतरी की सोचिए सभाषिनी सहगल अलीः 27 फरवरी 2015, अमर उजाला।
5. पाकिस्तान की लापता बच्चियाँ राफिया जकरियाः 05 जुलाई 2015, अमर उजाला।
6. लैंगिक गर्भपात की समस्या 07 जुलाई 2015, अमर उजाला।
7. बेटियों से भेदभाव जुलाई 2015 अमर उजाला।

पुस्तकें

1. Amartya Sen: "Gender: Seven types of Inequality" in Human Rights, vision issue no. 22 08 December 2001.
2. V. Geetha: Gender, Stree imprint of Bhatkal & Sen.
3. गोपा जो"ाीः भारत में स्त्री असमानता, एक विम"र्ा, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदे"ाालय दिल्ली।

आलेख

1. रवि जमुआर व खालिद अहमद,: भ्रूण हत्याः एक सामाजिक अभि"ाप, कुरूक्षेत्र नवम्बर 2005।
2. मनीषा : लिंग निर्धारणः गुम होती कन्याएं, कुरूक्षेत्र नवम्बर 2005।
3. जे0एल0 द्विवेदी : लिंगीय पक्षपात ग्रामीण विकास में बाधक, भारतीय नारी वर्तमान समस्याऐं और भावी समाधान।